



के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत डिफेंस कॉलोनी निवासी राजीव सूरी को और से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अभिनियम, 1958 (एएमएसआर अभिनियम) के तहत गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 2019 में उनकी याचिका खारिज करने के बाद शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की गई थी। शीर्ष अदालत निष्कर्ष रूप से अतिक्रमण बढ़ाने, अवैध कब्जे बढ़ाने और स्मारक या उसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देती रही है।





















